षोडश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 12 फाल्गुन, 1941 (श०)
02 मार्च, 2020 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1)	वित्त विभाग	01
(2)	गृह विभाग	01
(3)	उद्योग विभाग	01
	कुल योग --	03

सिपाहियों को वेतन देना

12. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में गृह रक्षा वाहिनी के सिपाहियों को सरकार द्वारा वेतन न देकर साधारण मानदेय पर कार्य लिया जाता है, जिससे उन्हें अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गृह रक्षा वाहिनी के सिपाहियों को वेतनमान देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिसूचना का कार्यान्वयन

13. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना 963, दिनांक 14 फरवरी, 2019 द्वारा सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में चादर, पर्दा, सफेद बेडशीट एवं पिलो कवर की दर निर्धारित करते हुये बुनकर सहयोग समितियों से खरीदे जाने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है, परन्तु बुनकर सहयोग समितियों से अभीतक सरकारी विभागों, उपक्रमों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के लिये चादर, पर्दा, सफेद बेडशीट एवं पिलो कवर आदि की खरीददारी नहीं की गई है, जिससे बुनकर सहयोग समितियाँ बंद होने की कगार पर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अधिसूचना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु कौन से कदम उठाने का विचार रखती हैं ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या 963, दिनांक 14 फरवरी, 2019 द्वारा सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में चादर, पर्दा, सफेद बेड शीट एवं पीलो कवर का दर निर्धारित किया गया है । साथ ही इन सामग्रियों के गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया सहित सोसायटी एक्ट में निबंधित बुनकर सहयोग समितियों (प्राथमिक/क्षेत्रीय/शीर्ष) से क्रय करने का निर्देश निर्गत किया गया है । इसमें प्रत्यक्ष रूप से उद्योग विभाग की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस मामले में सरकारी विभाग, उपक्रम, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज क्रेता हैं एवं सोसायटी एक्ट में निबंधित बुनकर सहयोग समितियों (प्राथमिक/क्षेत्रीय/शीर्ष) विक्रेता हैं ।

उक्त सामग्रियों का क्रय बुनकर सहयोग समितियों से ही सरकारी विभाग करें, इस आशय का पत्र सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को भेजा गया है ताकि राज्य में हस्तकरघा निर्मित वस्त्रों को प्रोत्साहन और बुनकरों के रोजगार एवं आय में वृद्धि हो सके । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को भी उक्त सामग्री का क्रय सोसायटी ऐक्ट में निबंधित बुनकर सहयोग समितियों से क्रय करने का निर्देश जारी किया गया है ।

राज्य में कुल प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों की संख्या 406 है जिनमें वर्तमान में कार्यरत समितियों की संख्या 202 है । शेष समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया हेतु राज्य निर्वाचन प्राधिकार को उद्योग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 2.50 लाख रुपया निर्वाचन शुल्क के रूप में उपलब्ध कराया गया है ताकि राज्य के प्राथमिक/क्षेत्रीय/शीर्ष संघ को निर्वाचन शुल्क राज्य निर्वाचन प्राधिकार को देना ना पड़े, जल्द-से-जल्द उनका निर्वाचन ससमय हो सके और यह समितियाँ बन्द न हो पाये ।

ऋण देने के संबंध में

14. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2018-19 में बिहार के किसानों को 42 हजार करोड़ रुपया ऋण देने का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य के विरुद्ध किसानों को मात्र 19 हजार करोड़ रुपये ही ऋण दिये गये हैं ;

(2) यदि हाँ, तो लक्ष्य से कम ऋण देने का क्या कारण है तथा शत-प्रतिशत ऋण देने के संबंध में सरकार द्वारा कब-कब कौन-सी कार्रवाई की गई है ?

पटना :
दिनांक 2 मार्च, 2020 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 157 (एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550